

व्यक्तिशः आदेश

विषय : हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों द्वारा अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के संबंध में व्यक्तिशःआदेश ।

.....(कार्यालय का नाम).....(मंत्रालय का नाम)
की दिनांक की अधिसूचना संख्या.....द्वारा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के तहत एक अधिसूचित कार्यालय है। अतः राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत यह अनिवार्य हो जाता है कि कार्यालय में कार्यरत ऐसे सभी कार्मिक जो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं, वे अपना सम्पूर्ण सरकारी काम काज हिंदी में करें ।

कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्री/सुश्री.....(पदनाम).....
..... राजभाषा नियम, 1976 के नियम 9 के तहत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं। अतः नियम 8 (4) के अंतर्गत आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपना सम्पूर्ण सरकारी कामकाज हिंदी में करेंगे। इस आदेश की अवहेलना को संघ की राजभाषा नीति का उल्लंघन माना जाएगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा ।

प्रशासनिक प्रधान/शीर्षस्थ अधिकारी
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम
(मोहर सहित)

नाम :

पदनाम :

(जिसको व्यक्तिशः आदेश दिया जाना है।)